प्रेषक,

आदेश कुमार
सचिव
शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (भारत)

सेवा में,

निदेशक
शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (भारत)

विषय :– **<u>टी0 टी0 सी0 चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में</u>**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक– राशै / ई0आर0डी0ओ0 / 1–56 / 01 / 2014 दिनांक 01.07.2015

1. इस सम्बन्ध में मुझे आपसे कहने का निर्देश हुआ है कि भारत के समस्त प्रदेश में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में निर्गत (ई0 आर0 डी0 ओ0) संख्या 1830 के तहत (टी0 टी0 सी0) प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन किये जाने की अनुमति (ई0 आर0 डी0 ओ0) द्वारा निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते है।

   टी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण –

   भारत में प्राथमिक स्तर व उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षक का सेवा पूर्ण 3 माह प्रशिक्षण कोर्स होगा जिसे टी0 टी0 सी0 (ट्यूशन टीचर सर्टिफिकेट) टी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण कहा जायेगा।

2. **प्रशिक्षण हेतु आवेदन** – टी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण हेतु आवेदन अभ्यर्थी (ई0 आर0 डी0 ओ0) के मुख्यालय में करेंगे तथा टी0 टी0 सी0 का प्रशिक्षण जिला केन्द्र और (ई0 आर0 डी0 ओ0) प्रशिक्षण संस्थान में कराया जायेगा सम्बन्धित जनपद का निवास प्रमाण–पत्र प्रशिक्षण में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त कर दिया जायेगा भारत के उन राज्यों व जनपदों जहॉ स्थापित (ई0 आर0 डी0 ओ0) जिला शिक्षा केन्द्र और (ई0 आर0 डी0 ओ0) के प्रशिक्षण संस्थान को (ई0 आर0 डी0 ओ0) द्वारा टी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण हेतु सीटों की मान्यता प्राप्त नहीं है। नवसृजित भारत के राज्यों व जनपदों जहॉ संस्थान की स्थापना नहीं हो सकी है उनमें रहने वाले अभ्यर्थी अपने निवास से सम्बन्धित उस राज्य के जनपद में आवेदन पत्र भेज सकेंगे। जिस अविभाजित पूर्व मूल भारत का वह हिस्सा है। उल्लिखित जनपद के अभ्यर्थी को चयन उपरान्त उल्लिखित जनपद का निवास प्रमाण–पत्र प्रशिक्षण में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जोयगा। अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट उल्लिखित (ई0 आर0 डी0 ओ0) के पदनाम से, जो (ई0 आर0 डी0 ओ0) मुख्य राज्य स्तरीय शाखा में देय हो, संलग्न करना होगा। नवसृजित एवं विभाजित जनपद के अभ्यर्थियों को टी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण हेतु चयन में समान अवसर देने के उद्देश्य से जिला शिक्षा केन्द्र एवं (ई0 आर0 डी0 ओ0) एवं प्रशिक्षण संस्थान में टी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण हेतु आवंटित सीटों में से 2 प्रतिशत सीटों पर उल्लिखित जनपद के अभ्यर्थियों को चयन का अवसर प्रदान किया जायेगा, परन्तु यदि चयन की तिथि तक उल्लिखित जनपद के जिला शिक्षा केन्द्र और प्रशिक्षण संस्थान में (ई0 आर0 डी0 ओ0) द्वारा सीट आवंटित हो जाती है तो सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा और (ई0 आर0 डी0 ओ0) प्रशिक्षण संस्थान को आवंटित सीटों संख्या के प्रति चयन की कार्यवाही की जायेगी।

3. आवेदन हेतु पात्रता –

(क) शैक्षिक अर्हता – टी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण के चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे जो भारत के निवासी हों, जहॉ प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर रहे हो तथा जिन्होंने आवेदन पत्र भरने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित एवं यू0 जी0 सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय से बी0 ए0/बी0 एस0 सी0/बी0 कॉम/स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ख) आयु – आवेदन हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई 2015 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट नहीं होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित आश्रित को अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष में 05 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतक आयु सीमा में 10 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट नियमानुसार यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गयी सेवा की सम्पूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है और इस प्रकार घटायी गयी आयु निर्धारित अधिकतम आयु से तीन वर्ष अधिक न हो तो यह समझा जाता है कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है। देय होगी।

4. चयन प्रक्रिया –

(क) टी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण हेतु लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आगणन करते हुये राज्य स्तरीय श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी तथा वरीयताक्रम में वर्ग श्रेणीवार चयन की कार्यवाही की जायेगी।

(ख) (ई0 आर0 डी0 ओ0) चयन समिति द्वारा टी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण हेतु (ई0 आर0 डी0 ओ0) द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है। को आवंटित सीटों के प्रति आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुये वरीयताक्रम में औपबान्धिक चयन सूची निर्गत की जायेगी।

(ग) औपबान्धिक चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को मूल अभिलेखों अंकपत्रों तथा प्रमाण–पत्रों आदि के साथ (ई0 आर0 डी0 ओ0) चयन समिति द्वारा जॉच हेतु निर्धारित तिथि को आमंत्रित किया जायेगा। अभिलेखों की जॉच के समय भराये जाने वाले जॉच प्रमाण–पत्र में अभ्यर्थियों को संस्थान की वरीयता देना होगी, परन्तु अभ्यर्थी को सीट आवंटित करने का अंतिम अधिकार (ई0 आर0 डी0 ओ0) चयन समिति का होगा। एक बार संस्था सीट आवंटन के बाद उसमें किसी प्रकार का कोई परिर्वतन नहीं किया जायेगा।

5. सीटों का आवंटन –

टी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण हेतु (ई0 आर0 डी0 ओ0) द्वारा आवंटित सीटों का विभाजन निम्नवत् होगा–

(क) टी0 टी0 सी0 चयन में 50 प्रतिशत महिलाये एवं 50 प्रतिशत पुरुष अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा। उसमें 50 प्रतिशत कला वर्ग तथा 50 प्रतिशत विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

(ख) यदि किसी श्रेणी हेतु आवंटित सीट संख्या ऐसी है कि उसका महिला/पुरुष तथा विज्ञान/कला का भेद न रखते हुये सर्वोच्च गुणांक के अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।

(ग) भारत के ऐसे अभ्यर्थी बी0 टी0 सी0, बी0 एड0, बी0पी0एड0, जे0वी0टी0, डी0एड0, पी0पी0टी0, एन0टी0पी0 और एम0 ए0 एजूकेशन जो चयन हेतु अन्य निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करते हो उनके 25 प्रतिशत सीटें सुरक्षित रखी जायेगी। इन 25 प्रतिशत सीटों में 50 प्रतिशत पुरुष तथा 50 प्रतिशत महिलाओं का चयन किया जायेगा।

(घ) ऐसे अभ्यर्थी विज्ञान कार्य क्षेत्र रुचि रखते हो, जिन्होंने विज्ञान क्षेत्र में कार्य किया हो तथा जिला मण्डल, राज्य, राष्ट्रीय स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया हो, तो प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न कर प्रेषित करना अनिवार्य होगा। इन 15 प्रतिशत सीटों को सुरक्षित रखा जायेगा। इन 15 प्रतिशत सीटों में 50 प्रतिशत पुरुष तथा 50 प्रतिशत महिलाओं का चयन किया जायेगा।

6– आवेदन पत्र आमंत्रित करना –

(1) टी0टी0सी0 प्रशिक्षण के चयन हेतु आवेदन पत्र आन लाइन प्राप्त किये जायेंगे। आन लाइन आवेदन पत्र के प्रारूप को ई–आवेदन पत्र के नाम से जाना जायेगा।

(2) अभ्यर्थी का उसी जनपद का निवासी होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(3) किसी भी आवेदक को हार्ड कापी में आवेदन नहीं करना है।

(4) अभ्यर्थियों से निर्धारित ई– आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त आवश्यक सूचनाएं मांगी जायेगी। अभ्यर्थियों से ई– आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।

(5) ई– आवेदन पत्र का प्रारूप विज्ञापन में निर्दिष्ट बेवासाइट पर उपयोगार्थ उपलब्ध होगा। अन्तिम निर्धारित तिथि को रात्रि समय 12:00 बजे तक ही आन लाइन आवेदन पत्र भरा जा सकेगा।

(6) ई– आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद के निर्गत शैक्षिक अंक पत्र प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग के समय स्वीकार्य नहीं होंगे।

(7) अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो भी सुचनाएं अंकित की जायेगी/विभिन्न परीक्षाओं के जो अंक उल्लिखित किये जायेंगे/जिस श्रेणी के आरक्षण/विशेष आरक्षण का दावा किया गया होगा, उन्हीं का लाभ अभ्यर्थी को चयन में दिया जायेगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित की गई सूचना से भिन्न सूचना को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) काउन्सिलिंग की तिथि को मूल अभिलेखों की जांच के समय ई– आवेदन में उल्लिखित से इतर सूचनाओं इतर किसी भी अन्य प्रकार की सूचनाओं/अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(9) अभ्यर्थियों द्वारा ई– आवेदन पत्र में यह अंकित करना होगा कि यदि विवरण त्रुटिपूर्ण एवं असत्य है तो न केवल उनका अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्तर होगा अपितु उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(10) काउन्सिलिंग के समय अभ्यर्थी को अपनी पहचान के प्रमाण के रूप में उसकी फोटो पहचान पत्र दिखाकर पुष्टि करानी होगी जिस फोटो आई–डी का उल्लेख आन लाइन आवेदन में किया है।

(11) प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थियों को रु0 10 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर इस आशक का शपथ पत्र अपने फोटो (जो नोटरी से प्रमाणित हो) सहित सचिव व निदेशक शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (ई0आर0डी0ओ0) को अनिवार्य रूप से देना होगा कि वह वास्तव में भारत के ....राज्य के .... जनपद का निवासी है, उसके द्वारा आवेदन पत्र और जाँच प्रपत्र में भरा विवरण सत्य है चयन/प्रशिक्षण/प्रशिक्षणोपरान्त किसी भी स्तर पर कोई सूचना गलत पाये जाने अथवा फर्जी पाये जाने अथवा चयन त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

जाँच के समय अभ्यर्थी को अपनी पहचान (identity) के प्रमाण के रूप में मूल निवास प्रमाण–पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक की फोटो युक्त पासबुक, फोटो युक्त कार्ड, यू0 आई0 डी0 में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
फोटो आई डी प्रूफ से उसके आवेदन पत्र में चस्पा फोटो का मिलान किया जायेगा।

(7) निर्धारित शुल्क –

- ऑन लाइन आवेदन पत्र शुल्क हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आवेदन शुल्क की धनराशि 250/– तथा अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क 450/– होगा। विकलांग अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

उक्त शुल्क का ऑन लाइन आवेदन शुल्क सम्बन्धित एजूकेशन रिसर्च एण्ड डिवैलपमेंट औरग्निजेशन के पदनाम से जो सम्बन्धित राज्य स्तरीय मुख्य शाखा में देय होगा, तथा शुल्क का उपयोग लिखित परीक्षा व वित्तीय नियमों के अनुसार उक्त शुल्क का प्रशिक्षण सम्बन्धी श्रेष्ठता सूची तैयार करने तथा अन्य आकस्मिक व्यय हेतु किया जायेगा। विकलांग अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(8) आरक्षण —

(अ) अभ्यर्थियों के चयन में चयन की तिथि को भारत सरकार की विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण व्यवस्था की जायेगी।

(ब) विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों का कोटा अधिनियम 1993,1997 तथा 1999 के अनुसार होगा। इन आरक्षित रिक्तियों के प्रति चयनित अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिससे वे सम्बधित है। विशेष आरक्षण के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक कोटे में अर्ह महिला अभ्यर्थियों के स्त्रोत स्तर पर उपलब्ध न होने पर उक्त सीट को अर्ह आवेदन पुरुष/भूतपूर्व सैनिक से भरा जायेगा, परन्तु महिला व पुरुष तथा विज्ञान और कला के 50–50 प्रतिशत विभाजन यथावत रहेगा क्योंकि उक्त आरक्षण क्षैतिज होता है।

(स) विज्ञान एवं कला वर्ग के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के समायोजन के सम्बन्ध में कार्यवाही (ई0 आर0 डी0 ओ0) द्वारा दी गयी निम्नवत् व्यवस्था के अनुसार की जायेगी। —

अनुसूचित जाति के रिक्त पदों हेतु

(1) (क) जिन जनपदों में महिला अनुसूचित जाति की विज्ञान की रिक्त सीटों को भरे जाने वाली महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नही हो पा रही है, उन रिक्त सीटों पर अनुसूचित जाति की महिला कला वर्ग की अर्ह अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित नियमानुसार किया जाये।

(ख) जिन जनपदों में महिला अनुसूचित जाति की कला वर्ग की रिक्त सीटों जिन पर अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे है उनके सापेक्ष महिला अनुसूचित जाति की विज्ञान वर्ग की अर्ह महिला अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर लिया जाये।

(ग) उपर्युक्त (1)(क) एवं (ख) के अनुसार सीट न भरने की स्थिति में महिला अनुसूचित जाति की विज्ञान तथा कला वर्ग की रिक्त सीटों पर पुरुष अनुसूचित जाति के क्रमशः विज्ञान एवं कला वर्ग की अर्ह अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर लिया जाये।

''उपरोक्तानुसार जनपदवार पुरुष/अनुसूचित जाति की विज्ञान वर्ग कला वर्ग की रिक्त सीटों के प्रति भी चयन उपर्युक्त (1)(क), (1)(ख) अथवा (1)(ग) के अनुसार किया जाये।''

अनुसूचित जनजाति के रिक्तियों के सम्बन्ध में

(2) (क) महिला अनुसूचित जनजाति विज्ञान वर्ग की रिक्त सीटों पर अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में महिला अनुसूचित जनजाति की कला वर्ग की अर्ह महिला अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर लिया जाये।

(ख) महिला अनुसूचित जनजाति की कला वर्ग की रिक्त सीटों पर महिला अनुसूचित जनजाति की विज्ञान वर्ग की अर्ह महिला अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर लिया जाये।

(ग) उपर्युक्त (2)(क) एवं (ख) के अनुसार भी सीट न भरने की स्थिति में महिला अनुसूचित जाति की विज्ञान तथा कला वर्ग की रिक्त सीटों पर पुरुष अनुसूचित जनजाति के क्रमशः विज्ञान एवं कला वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों का यथारिस्थत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन किया जाए।

अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग की रिक्त सीटों के प्रति भी चयन उपर्युक्त 2 (क), (ख) एवं (ग) के अनुसार किया जाये।

अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्तियों के सम्बन्ध में –

(3) (क) महिला/अन्य वर्ग में विज्ञान वर्ग में अर्ह महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग की कला वर्ग का अर्ह महिला अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर लिया जाये।

(ख) महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग की कला वर्ग में यदि अर्ह महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग की विज्ञान वर्ग की, विज्ञान वर्ग की अर्ह महिला अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर लिया जाये।

(ग) उपर्युक्त (3) (क) एवं (3)(ख) के अनुसार भी सीट न भरने की स्थिति में महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग की कला तथा विज्ञान की सीटों पर पुरुष/अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रमशः कला वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों का यथास्थित चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाये।

अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष की रिक्त सीटों के प्रति भी चयन उपर्युक्त (3) (क), (3)(ख) एवं (3)(ग) के अनुसार किया जाये।

9– चयन समिति के सदस्य –

(क) प्रशिक्षणार्थियों का चयन (ई0 आर0 डी0 ओ0) की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तरीय व मण्ड़ल स्तरीय (ई0 आर0 डी0 ओ0) चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

1. शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन – अध्यक्ष
2. शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन – सचिव
3. शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन – निदेशक
4. शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन – सहायक निदेशक
5. शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन – परीक्षा नियंत्रक
6. शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन – शिक्षा प्रभारी
7. शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन – शिक्षा आयुक्त (ई0 आर0 डी0 ओ0)
8. शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन – स्टेट काउन्सिल ऑफ ई0आर0डी0ओ0 (सदस्य)
9. शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन – नेशनल काउन्सिल ऑफ ई0आर0डी0ओ0(सदस्य)

(ख) उक्तवत गठित (ई0 आर0 डी0 ओ0) चयन समिति द्वारा चयन से संबधित समस्त कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। चयन के सम्बन्ध में (ई0 आर0 डी0 ओ0) चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

10– प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का मानदेय (स्टाईपेण्ड) देय नहीं होगा।

11– टी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण 3 माह नियमित प्रशिक्षण है जिला शिक्षा केन्द्र (ई0 आर0 डी0 ओ0) और प्रशिक्षण संस्थान के चयनित अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण संस्थान के उक्त शुल्क का मदवार विवरण संलग्न है।

12. प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का मिलान प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने से पूर्व उनके आवेदन पत्र में अंकित विवरण से तथा संलग्नकों के मिलान आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों से किया जायेगा। इसके साथ ही प्रवेश देते समय आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो से अभ्यर्थी का मिलान कर लिया जाये तथा उसकी पुष्टि फोटों आई0 डी0 से भी की जाये। बाद में उनके मूल अभिलेखों की जाँच/सत्यापन भी सम्बन्धित निर्गमन संस्थाओं से प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व कराया जायेगा। चयन/जाब/प्रवेश/प्रशिक्षण/ प्रशिक्षण/नियुक्ति किसी भी स्तर पर विसंगति पाये जाने पर चयनित/प्रशिक्षित/नियुक्त अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये विधिक कार्यवाही की जायेगी।

13. अल्पसंख्यक संख्या (ई0 आर0 डी0 ओ0) द्वारा टी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण हेतु 2 प्रतिशत सीटों पर चयन जनपदीय जिला शिक्षा केन्द्र और (ई0 आर0 डी0 ओ0) प्रशिक्षण संस्थान चयन समिति द्वारा किया जायेगा शेष 98 प्रतिशत सीटों का चयन (ई0 आर0 डी0 ओ0) द्वारा उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

भवदीय

स्वदेश कुमार खतरी
निदेशक

(ई0 आर0 डी0 ओ0) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में टी0 टी0 सी0 प्रशिक्षणार्थियों से लिये जाने वाले प्रस्तावित शुल्क का मदवार विवरण

क्र0 सं0	मद	3 माह	ट्रेनिंग
1.	शिक्षा शिक्षण शुल्क (ई0 आर0 डी0 ओ0) कोष में जमा किया जायेगा	3490	
2.	शिक्षा शुल्क	350	
3.	कम्प्यूटर शुल्क	370	
4.	कॉशन मनी शुल्क	750	
5.	परिचय पत्र शुल्क	100	
6.	पत्रिका शुल्क	200	
7.	विद्युत शुल्क	250	
8.	अनुरक्षण/विकास शुल्क	180	
9.	विज्ञान प्रशिक्षण शुल्क	550	
10.	**योग**	**6240**	

नोट – उक्त शुल्क में परीक्षा शुल्क तथा अंक पत्र शुल्क सम्मिलित नहीं है।

भवदीय

A. Kumar

आदेश कुमार
सचिव